भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

Presented by Sh. Kuldeep Sharma Adv
Office Report
2/2/07

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बस्सी, जिला - जयपुर

प्र•पत्र सं0 : 27 /2007

कालुराम उम्र 30 वर्ष पुत्र स्व• श्री रामनारायण जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम बस्सी हाल निवासी मोहनपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर ।

प्रार्थी

ब ना म

रामराय पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम बस्सी ढाणी चौड़ी कोठी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

श्रीमान्जी,

प्रार्थना पत्र प्रार्थी निम्नलिखित निवेदन है :-

।1। यह है कि उपरोक्त उनवानी वाद माननीय न्यायालय हाजा में सुदृढ़ तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत कर दिया है जिस में सफलता मिलने की पूर्ण संभावना हैं ।

।2। यह है कि ग्राम बस्सी तहसील बस्सी स्थित भूमि खसरा नम्बर 2 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, ख•नं• 327 रकबा 9 बीघा 19 बि खसरा नम्बर 335 रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 3 कुल 22 बीघा 18 बिस्वा के प्रार्थी के पिता स्व• रामनारायण पुत्र लक्ष्मीनारायण उर्फ लच्छु 1/4 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार काश्त है तथा 1/4 हिस्से का अप्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है और इस ... के हिस्से का काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे

15.6.17 पत्रावली पेश हुई। P.O.सा. दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 13.6.17 को पेश हो।

13.6.17 कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी
क्रमांक/कोर्ट [illegible] दिनांक ...
मूल सम्मन/नोटिसेज तहसीलदार बस्सी ..... 22.8.17 को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित से नियमानुसार तामील करवाकर, एक एक प्रति इस न्यायालय को भिजवावें।

22/8/17 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप. प्रार्थी कि मौजूद हो चुकी है। अतः प्रार्थी के कायम मुकाम पेश होने। पत्रावली दिनांक 31/10/17 को पेश हो।

31/10/17 पत्रावली पेश हुई। P.O.सा. दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 14/11/17 को पेश हो।

14/11/17 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी श्री कुलदीप शर्मा व वकील प्रतिवादी श्री सनातन पारीक उपस्थित। मूलवाद में वकील वादी द्वारा कायम मुकाम प्रार्थना पत्र इकला प्रतिवादी का पेश नहीं किये जाने के कारण दावा अदम पैरवी हो जाने से वादी का वाद खारिज किये जाने से अब इस प्रार्थना पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी आधार पर खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
बस्सी जिला जयपुर